उपापन समिति का बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 20.09.2018 को दोपहर 01.00 बजे उपापन समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए :–

1. श्री अशोक कुमार शर्मा, कुलसचिव
2. श्री रामावतार शर्मा, वित्त नियंत्रक
3. डॉ. सुभाष चन्द्र शर्मा, निदेशक, शैक्षणिक परिसर
4. डॉ. राजधर मिश्र, सह आचार्य, व्याकरण विभाग
5. डॉ. सुभाष चन्द्र शर्मा, सहायक कुलसचिव, सामान्य प्रशासन शाखा

एजेण्डा :–01 विश्वविद्यालय के लिये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लिपिक, वाहन चालक, प्लम्बर, इलैक्ट्रिशियन, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक आदि की सेवायें उपलब्ध करवाने हेतु ऑनलाईन आमंत्रित बोंली संख्या 23/2018 के क्रम में आयोजित प्री–बिड मीटिंग दिनांक 20.09.2018 में प्राप्त प्रस्तावों/प्रश्नों पर निर्णय बाबत्।

उपापन समिति के समक्ष प्री–बिड मीटिंग में दो सम्भावित बोंलीदाता उपस्थित हुए, जिनके द्वारा कियें गये प्रश्नों (उपस्थिति पत्रक संलग्न) पर विचार–विमर्श किया गया।

निर्णयः–उपापन समिति द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त प्रश्नवार निम्न प्रकार निर्णय किये जाने की अनुशंषा की जाती हैः–

1. यदि कोई बोंलीदाता कार्मिकों के सम्पूर्ण वर्गो के स्थान पर किसी एक अथवा अधिक वर्गो के लिए बोंली प्रस्तुत करता है तो भी उसे बोंली की अनुमानित लागत 95.00 लाख रू. पर ही 02 प्रतिशत के हिसाब से बोंली प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। इस बिन्दू पर बोंली दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
2. संवेदक द्वारा भुगतान के संबंध में कियें गये प्रश्न पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संवेदक द्वारा सम्पूर्ण वांछित दस्तावेजों के साथ बिल प्रस्तुत करने 20 कार्यदिवस के भीतर सामान्यतः भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। परन्तु इस बिन्दू पर बोंली दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
3. संविदा कार्मिक कार्यादेश/स्वीकृति पत्र जारी होने के 07 दिवस के भीतर (संविदा की विशेष शर्त संख्या 12) उपलब्ध कराने होंगे, जो कार्यादेश/स्वीकृति पत्र में स्पष्ट रूप से लिख दिया जावेगा। इस बिन्दू पर बोंली दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
4. कार्मिकों/कम्प्यूटर ऑपरेटरों का साक्षात्कार सम्बन्धित बोंलीदाता द्वारा अपने स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा। बोंलीदाता को बोंली दस्तावेजों में वर्णित शर्तो/योग्यताओं के अनुसार वांछित कार्मिक उपलब्ध कराने होंगे। इस बिन्दू पर बोंली दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
5. संवेदक द्वारा समस्त कार्मिक बोंली दस्तावेजों में वर्णित शर्तो के अनुसार अपने स्तर पर लगाने होंगे। इस बिन्दू पर बोंली दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

समिति के उक्त कार्यवाही विवरण को E-Proc. पोर्टल पर भी Upload कराया जाना सुनिश्चित करावें।

20/9/18
(सुभाष चन्द्र शर्मा)
सहायक कुलसचिव, सामान्य प्रशासन

(राजधर मिश्र)
सह आचार्य, व्याकरण विभाग

20.9.18
(सुभाष चन्द्र शर्मा)
निदेशक,
शैक्षणिक परिसर

20/9/18
(रामावतार शर्मा)
वित्त नियंत्रक

(अशोक कुमार शर्मा)
कुलसचिव